माननीय न्यायालय आर. पी. सेठी और के. एस. कुमारन, जेजे।

लक्ष्मी चंद,-याचिकाकर्ता,

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1995 की सी.डब्ल्यू.पी. 8180

21 सितंबर, 1995

भारत का संविधान। 1950-अनुच्छेद 226/227 सेवा के दौरान अयोग्य घोषित किए गए कर्मचारियों को लाभ-याचिकाकर्ता को अमान्य घोषित किया जाता है और मुआवजा देने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-मुख्य सचिव द्वारा जारी नीति के आधार पर जिस सरकारी कर्मचारी को अयोग्य घोषित किया गया है उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाये इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अपने बेटे क लिए नौकरी देने का परमादेश मांगना -दोनों योजनाओं का लाभ लेने का हकदार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अनुलग्नक आर/1 के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि इसका उद्देश्य आनंद बिहारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के पश्चात चिकित्सकीय रूप से अयोग्य चालकों को उचित रूप से मुआवजा देकर उनसे छुटकारा पाना था। जबकि नीति अनुलग्नक आर/2 विशेष रूप से चालकों से संबंधित था। नीति अनुलग्नक पी/3 स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा सरकार की ओर से सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए जारी किया गया था, जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था या जो नेत्रहीन थे ताकि उनके किसी एक आश्रित को नौकरी प्रदान की जा सके।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त दो नीतियों द्वारा दी गई रियायतें विभिन्न स्थितियों और कर्मचारियों के विभिन्न समूहों पर लागू होती हैं। नीतियों को एक-दूसरे के पूरक या अनुपूरक नहीं माना जा सकता था, बल्कि इनको स्पष्टतः और वैकल्पिक रूप से लागू किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नीतियों को जारी करने का उद्देश्य अवैध व्यक्तियों को पुनर्वास व अयोग्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का हैं। राज्य का इरादा किसी अशक्त व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति को पुरस्कृत करना नहीं हो सकता है। जिन व्यक्तियों को सेवा से अमान्य पाया गया है, वे अनुलग्नक आर/1 के लाभों के अनुदान के हकदार हैं क्योंकि वे सक्रिय सेवा के लिए अक्षम पाए गए हैं। इसका उद्देश्य या तो उन्हें वैकल्पिक नौकरी प्रदान करना था या अगर ऐसी नौकरी उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें मुआवजा देना था। हालांकि, अनुलग्नक पी/3 का उद्देश्य ऐसे अधिकारियों

को अनुकंपा के आधार पर मुआवजा देना प्रतीत होता है, जिन्हें किसी भी कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है और उस स्थिति में उनकेआश्रितों में से किसी एक को निर्दिष्ट परिस्थितियों में नौकरी प्रदान करना है।

` (पैरा 6)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में भी जहां कोई व्यक्ति दोनों योजनाओं के लाभ का हकदार है, उसे दोनों नीतियों के तहत अपने दावे को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को एक योजना या नीति के तहत लाभ उठाते हुए पाया जाता है तो उसे दूसरी नीति के तहत लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(पैरा 6)

भारत का संविधान। 1950-अनुच्छेद 226/227 -'नकारा'-'अनफिट'-परिभाषा।

अभिनिर्धारित किया गया कि 'नकारा' शब्द को 'अनफिट' शब्द के बराबर कहा गया है। 'अनफिट' शब्द के शब्दकोश अर्थ - ‘उपयुक्त या उपयुक्त नहीं हैं’, उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं, आवश्यक मानक के बराबर नहीं हैं और अयोग्य हैं। जबकि 'अमान्य' शब्द के शब्दकोश अर्थ हैं, स्वास्थ्य में कमी, बीमार, कमजोर,अक्षम और सक्रिय सेवा के लिए अक्षम । अमान्य व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक अयोग्य व्यक्ति नहीं होता है जबकि एक अयोग्य व्यक्ति के दायरे में अमान्य व्यक्ति भी शामिल होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य घोषित कर दिया गया है और अयोग्य नहीं ।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आभा राठौर।

अरुण नेहरा, उप महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादियों की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

1) सेवा अवधि के दौरान अयोग्य घोषित किए गए कर्मचारियों के लाभों से संबंधित परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा 20 अगस्त, 1992 को जारी नीति (अनुलग्नक आर/1) और मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा जारी नीति (अनुलग्नक पी/3) के लाभ किसे और किन परिस्थितियों में प्रदत्त किए जा सकते हैं, इस याचिका में निर्धारित किया जाने वाला कानून का मुख्य प्रश्न है।

(2) *आनंदबी बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1003* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने चिकित्सकीय रूप से अयोग्य चालकों को सेवा से हटाने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया। हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को 11 सितंबर, 1987 को जारी किए गए परिवहन आयुक्त के पहले पत्र में संशोधन के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्णय लिया गयाः

(क) यदि कोई ड्राइवर अपने रोजगार से ना संबंधित बीमारी के कारण अयोग्य हो गया है, तो उसे नियम 5,18 सी.एस.आर. खंड II के तहत प्रक्रिया का पालन करके चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए, यदि कर्मचारी स्वयं चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

(घ) जहां कर्मचारी ने 15 वर्ष से अधिक की सेवा की है, लेकिन 20 वर्ष से कम की सेवा की है, वहां मुआवजे की राशि उसकी सेवा शेष के प्रति वर्ष एक महीने के वेतन के बराबर होगी।

(ङ) जहां कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक की सेवा की है, वहां मुआवजे की राशि उसकी सेवा शेष के प्रति वर्ष दो महीने के वेतन के बराबर होगी।

वेतन का अर्थ होगा कुल मासिक परिलब्धि जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को प्राप्त कर रहा था।

(iii) यदि वैकल्पिक नौकरी तुरंत उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के भीतर में उपलब्ध हो जाती है, तो विभाग कर्मचारी को वैकल्पिक नौकरी का प्रस्ताव प्रदान करेगा बशर्ते वह क्षतिपूर्ति राशि वापस कर दे। इसके बाद वह उपरोक्त पैरा 2 में प्रावधान द्वारा अधीन होगा।

(iv) यदि विभाग द्वारा वैकल्पिक नौकरी की पेशकश की जाती है तो दोनों में से किसी एक राहत को स्वीकार करने का विकल्प कामगार का होगा।

(v) जहां कर्मचारी अतीत में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके सेवानिवृत्ति आदेशों को न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया था कि उन्हें सरल कार्य दिया जा सकता है, इन मामलों को भी नई नीति के तहत शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, उन्हें ऐसा वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे वे अपनी अक्ष्मता के बावजूद क्षमता से करने में सफल पाए, जो आवश्यक रूप से वेतन के उसी पैमाने पर नहीं हो जैसा कि वे पहले ले रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को जो भी सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें स्वीकार्य थे, उनके साथ अपने पहले के पदों से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए और पुनर्नियोजन पर उनके द्वारा प्राप्त वेतन उनकी पिछली सेवा से अर्जित

सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त होगा बशर्ते कि पेंशन और पुनर्नियोजन पर उनका वेतन अंतिम वेतन से अधिक न हो।

(vi) ऐसे मामले में जहां न्यायालयों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति के के विपरीत निर्णय दिया है और निचली अदालत ने नियम 5.11 और 5.12 सी.एस.आर. खंड II के तहत कर्मचारी को सेवा में वापस लेने के लिए विशिष्ट आदेश पारित किए थे यदि नियोक्ता ने कर्मचारी की चिकित्सकीय जांच कराई है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

2. किसी भी स्थिति में चाहे कर्मचारी ने स्वयं चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत की हो या नियोक्ता ने उसकी चिकित्सकीय जांच कराई हो, यदि असमर्थता व्यावसायिक खतरों से संबंधित है, तो वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए उनके पहले प्रयास किए जाने चाहिए जो आवश्यक रूप से पहले के वेतनमान के समान न हो, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी उस काम को करने में सक्षम है। यदि उसे कोई वैकल्पिक रोजगार दिया जाता है, तो माना जायेगा कि वह अपने पूर्व रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया है, जो भी सेवानिवृत्ति लाभ उसके लिए स्वीकार्य हैं, पुनर्नियोजन पर उनके द्वारा प्राप्त वेतन उनकी पिछली सेवा से अर्जित सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त होगा बशर्ते कि पेंशन और पुनर्नियोजन पर उनका वेतन अंतिम वेतन से अधिक न हो।

3. (i) यदि कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है और महाप्रबंधक यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों के साथ निम्नानुसार एक अतिरिक्त प्रतिपूरक राशि का भुगतान किया जाना चाहिएः -

क) जहां कर्मचारी ने 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम की सेवा की है, वहां मुआवजे की राशि उसकी सेवा शेष के प्रति वर्ष 7 दिनों के वेतन के बराबर होगी।

(ख) जहां कर्मचारी ने 5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम की सेवा की है, वहां मुआवजे की राशि उसकी सेवा शेष के प्रति वर्ष 15 दिनों के वेतन के बराबर होगी।

(ग) जहां कर्मचारी ने 10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम की सेवा की है, वहां मुआवजे की राशि उसकी सेवा शेष के प्रति वर्ष 21 दिनों के वेतन के बराबर होगी।

(3) मुख्य सचिव, हरियाणा ने अपने पत्र दिनांक 2 नवंबर, 1902 (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से सभी विभाग प्रमुखों, हरियाणा; अंबाला, हिसार के आयुक्तों , गुड़गांव और रोहतक डिवीजन; हरियाणा के सभी उपायुक्तों और अधिकारियों, रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को सेवा अवधि के दौरान अंधे या अयोग्य घोषित किए गए नियमित कर्मचारियों के

परिवारों में से एक आश्रित को सरकारी नौकरी देकर लाभ प्रदान करने की योजना से अवगत कराया। अनुलग्नक पी/3 विशेष रूप से प्रदान किया गया हैः-

"मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार ज्ञापन सं। 16/1/81-जी. एस. टी. टी. दिनांक 22 फरवरी, 1991 की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, और यह कथन करना है कि सरकार ने उपर्युक्त मामले की पुनःपरीक्षा की है और यह विनिश्चय किया है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख के पश्चात्, अपनी सेवा अवधि के दौरान अंधे या अयोग्य घोषित किए गए किसी नियमित कर्मचारी के केवल एक आश्रित को ही सरकारी नौकरी दी जाए।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित विशेष बोर्ड से अयोग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और भविष्य की सिफारिशों को इन निर्देशों के अनुसार पूरी जानकारी के साथ भेजा जाए।"

(4) प्रतिद्वंद्वी विवाद की सराहना करने के लिए इस मामले के तथ्यों पर एक नज़र डालने की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज, फरीबाद डिपो में चालक के रूप में काम कर रहा था। चालक को अमान्य घोषित किए जाने के बाद अनुलग्नक पी/1 को मेमो अनुलग्नक आर/1 वाले निर्देशों के तहत सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था और मुआवजे के रूप में 21.618 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। । मुआवजे के अनुदान से संतुष्ट नहीं, याचिकाकर्ता ने- अनुलग्नक पी/4 के माध्यम से अपने बेटे इंदर सिंह को क्लर्क के पद पर नौकरी देने का अनुरोध किया, जिसने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रतिवादी-प्राधिकरणों द्वारा किसी भी आदेश को पारित करने की विफलता पर, याचिकाकर्ता ने 26 अक्टूबर, 1994 को इस न्यायालय की एक खंड पीठ के सामने 1994 की सी. डब्ल्यू. पी. नं. 15242 दायर की जिसमे उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया कि एक सकारण आदेश पारित करके दो महीने के भीतर उनके प्रतिनिधित्व का निपटान किया जाये। चूंकि, अदालत के निर्देशों के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई, याचिकाकर्ता ने. 1995 की सी.ओ.सी.पी 107 दायर की जिसमें न्यायालय को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी/5)अस्वीकार कर दिया गया है।- वीडियो अनुलग्नक पी/5। यह तर्क दिया जाता है कि अस्वीकृति अवैध थी और सरकार की नीति (अनुलग्नक पी/3) के विपरीत थी और याचिकाकर्ता अपने अभ्यावेदन में दावा की गई राहत का हकदार था।

(5) प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल जवाब में यह विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता नीति (अनुलग्नक पी/3) के संदर्भ में किसी भी राहत के अनुदान का हकदार नहीं था क्योंकि उसे पहले से ही नीति अनुलग्नक आर/1 के तहत मुआवजे के भुगतान द्वारा राहत दी गई थी, जिसके लिए वह हकदार था।

(6) अनुलग्नक आर/1 के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि इसका उद्देश्य आनंद बिहारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के पश्चात चिकित्सकीय रूप से अयोग्य चालकों को उचित रूप से मुआवजा देकर उनसे छुटकारा पाना था। जबकि नीति अनुलग्नक आर/2 विशेष रूप से चालकों से संबंधित था। नीति अनुलग्नक पी/3 स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा सरकार की ओर से सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए जारी किया गया था, जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था या जो नेत्रहीन थे ताकि उनके किसी एक आश्रित को नौकरी प्रदान की जा सके। इस नीति का दायरा और इसकी प्रयोज्यता कर्मचारियों के एक व्यापक वर्ग के लिए स्वीकार्य थी और उसमें वर्णित परिस्थितियों में लागू थी। दोनों योजनाओं का उद्देश्य यह था कि यदि कोई चालक या सरकारी कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ निरंतर सेवा के कारण अमान्य * अयोग्य या अंधा हो जाता है तो उसे ऊपर उल्लिखित पॉलिसियों में निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक मुआवजा दिया जा सकता है। नीति की प्रयोज्यता का सहारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में लिया जाना था जैसा कि उपरोक्त दो नीतियों में बताया गया है। परोक्त दो नीतियों द्वारा दी गई रियायतें विभिन्न स्थितियों और कर्मचारियों के विभिन्न समूहों पर लागू होती हैं। नीतियों को एक-दूसरे के पूरक या अनुपूरक नहीं माना जा सकता था, बल्कि इनको स्पष्टतः और वैकल्पिक रूप से लागू किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नीतियों को जारी करने का उद्देश्य अवैध व्यक्तियों को पुनर्वास व अयोग्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का हैं। राज्य का इरादा किसी अशक्त व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति को पुरस्कृत करना नहीं हो सकता है। जिन व्यक्तियों को सेवा से अमान्य पाया गया है, वे अनुलग्नक आर/1 के लाभों के अनुदान के हकदार हैं क्योंकि वे सक्रिय सेवा के लिए अक्षम पाए गए हैं। इसका उद्देश्य या तो उन्हें वैकल्पिक नौकरी प्रदान करना था या अगर ऐसी नौकरी उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें मुआवजा देना था। हालांकि, अनुलग्नक पी/3 का उद्देश्य ऐसे अधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर मुआवजा देना प्रतीत होता है, जिन्हें किसी भी कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है और उस स्थिति में उनकेआश्रितों में से किसी एक को निर्दिष्ट परिस्थितियों में नौकरी प्रदान करना है। नौकरी का प्रावधान किसी एक योजना द्वारा प्रदान किए गए लाभों के अतिरिक्त नहीं माना जा सकता है। दोनों योजनाओं के तहत लाभों का संयोजन-सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा और राज्य द्वारा परिकल्पित उद्देश्य को नकार देगा। उन व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान जो अपने अयोग्य या अमान्य होने के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ योग्य नागरिकों की कीमत पर होगा जो वैकल्पिक नौकरी के प्रावधान के अभाव में रोजगार के हकदार होंगे। न तो कोई कानून और न ही कोई नियम सिविल सेवा को वंशानुगत मानता है। किसी भी नीति को इस हद तक विस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन सभी मामलों में जहां कर्मचारी को अमान्य या अयोग्य घोषित किया जाता है, वह दोनों योजनाओं के लाभ का हकदार था। जैसा कि पहले से ही देखा जा रहा है कि नीति अनुलग्नक आर/ए1 उन व्यक्तियों के एक

अलग वर्ग को संदर्भित करता है जो नीति अनुलग्नक पी/3 द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां कोई व्यक्ति दोनों योजनाओं के लाभ का हकदार है, उसे दोनों नीतियों के तहत अपने दावे को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को एक योजना या नीति के तहत लाभ उठाते हुए पाया जाता है तो उसे दूसरी नीति के तहत लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(7) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने *हरियाणा राज्य बनाम हवा सिंह 1995 (3) एस.सी.सी. 384* में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाया है। उस मामले के तथ्य यह थे कि हवा सिंह और अन्य जो हरियाणा रोडवेज में चालक थे, उन्हें भारी वाहन चलाने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होंने इस न्यायालय में इस निर्देश के लिए रिट याचिकाएं दायर कीं कि इस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित होने और सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उनके एक बेटे को रोजगार दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके एक बेटे को नौकरी देने का निर्देश दिया। राज्य की ओर से यह बताया गया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने 20 अगस्त, 1992 को भारी वाहन चलाने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण चालक को हटाने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक योजना जारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो नीतियों के संदर्भ में कहा, "इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय का यह निर्देश देना उचित नहीं था कि प्रत्यर्थियों के आश्रितों में से एक को उसके पास मौजूद शैक्षिक योग्यताओं के अनुरूप उपयुक्त नौकरी दी जाए" उच्चतम न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि आनंद बिहारी के मामले (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करते हुए चालकों को वैकल्पिक नौकरी दी जाए, लेकिन केवल उन असाधारण परिस्थितियों में जहां उन्हें किसी भी वैकल्पिक नौकरी में समायोजित करना संभव नहीं था, तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा जैसा कि न्यायालय के फैसले में कहा गया है। मामले का निर्णय लेते समय, उच्चतम न्यायालय ने संयोग से उल्लेख किया कि ऐसे व्यक्ति जो सेवा के दौरान अंधे या नकारा हो गए थे, वे नई योजना के तहत राहत देने के हकदार थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अयोग्य पाया जा चुका है, इसलिए वह 23 नवंबर, 1992 की नीति के लाभ का हकदार है।

(8) अनुलग्नक पी/ए1 के अवलोकन से पता चलता है कि अत्यधिक तनाव के कारण, याचिकाकर्ता को अमान्य घोषित किया गया था जो उसे नीति अनुलग्नक आर/1 के तहत लाभ प्रदान करने का हकदार था। नकारा' शब्द को 'अनफिट' शब्द के बराबर कहा गया है। 'अनफिट' शब्द के शब्दकोश अर्थ - ‘उपयुक्त या उपयुक्त नहीं हैं’, उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं, आवश्यक मानक के बराबर नहीं हैं और अयोग्य हैं। जबकि 'अमान्य' शब्द के शब्दकोश अर्थ हैं, स्वास्थ्य में कमी, बीमार,

कमजोर,अक्षम और सक्रिय सेवा के लिए अक्षम । अमान्य व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक अयोग्य व्यक्ति नहीं होता है जबकि एक अयोग्य व्यक्ति के दायरे में अमान्य व्यक्ति भी शामिल होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य घोषित कर दिया गया है और अयोग्य नहीं।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के फैसले 1994 की सी.डब्ल्यू.पी. नं. 18650 *'धरम पाल बनाम राज्य'* जो 13 जुलाई, 1995 को दिया गया था उसका उल्लेख किया है और उसको आधार बनाया है। अनुलग्नक आर/ए1 और आर/3 नीतियों की व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की निर्भरता गलत है क्योंकि उस मामले में यह स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता नीति अनुलग्नक पी/3 के तहत कवर किया गया था, जो कि तत्काल मामले में स्थिति नहीं है।

10) प्रत्यर्थी परिवहन आयुक्त, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने में उचित था क्यूंकि अनुबंध पी/5 के माध्यम से राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 23 नवंबर, 1992 उनके मामले में लागू नहीं थे। याचिकाकर्ता को न तो अंधा माना गया है और न ही नकारा घोषित किया गया है (unfit).

(11) इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है जो तदनुसार खारिज की जाती है लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा.